(183)

संख्या– 511/11–6–18–एम(92)/2009 टी०सी०

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ०प्र०, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ :दिनांकः 10 सितम्बर, 2018

विषय : मल्टीप्लेक्स एवं एकल स्कीन छविगृहों में दर्शकों से वसूल किये गये टिकट मूल्य पर देय माल और सेवा कर (GST) के भुगतान के बाद अवशेष बची धनराशि में से, सिनेमा परिसर के अनुरक्षण एवं एयरकूलिंग/एयरकंडीशनिंग के मद में व्यय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–890/प्र०क०–3/2018–19 दिनांक 12.07.2018, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मल्टीप्लेक्स एवं एकल स्कीन छविगृहों में दर्शकों से वसूल किये गये टिकट मूल्य पर देय माल और सेवा कर (GST) के भुगतान के बाद अवशेष बची धनराशि में से सिनेमा परिसर के अनुरक्षण एवं वातानुकूलन/वायुशीतन प्रभार के रूप में क्रमशः रू0 8.00 एवं रू0 3.00 व्यय किये जाने के संबंध में सिनेमा लाईसेंस की शर्तों में एक अतिरिक्त शर्त जोड़ दी जाय, जो निम्नवत् है :–

"यह कि उक्त (ग).., उ०प्र० माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के लागू होने के दिनांक (01.07.2017) से, आमोद में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों में प्रवेश करने वाले दर्शकों से वसूल की जा रही प्रति टिकट धनराशि पर नियमानुसार देय जी०एस०टी० की धनराशि को घटाकर अवशेष धनराशि में से सिनेमा अनुरक्षण के रूप में रू0 8.00 एवं वातानुकूलन/वायुशीतन प्रभार के रूप में रू0 3.00 व्यय करने हेतु बाध्य होगा तथा एकत्रित/व्यय किये गये अनुरक्षण शुल्क प्रभार एवं वातानुकूलन/वायुशीतन प्रभार का वित्तीय वर्षवार लेखा–जोखा तैयार करेगा और मांग

...2

Scanned by CamScanner

किये जाने पर उन्हें निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त (अर्थात 31 मार्च तक) में, सिनेमा अनुरक्षण एवं वातानुकूलन/ वायुशीतन प्रभार के रूप में एकत्रित की गयी धनराशि को विलम्बतम् अगले तीन माह (अर्थात 30 जून तक) में उपभोग करेगा तथा उपभोग न हो पाने वाली सिनेमा अनुरक्षण एवं वातानुकूलन/वायुशीतन प्रभार की एकत्रित धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा करेगा। वित्तीय वर्ष में एकत्रित एवं व्यय किये गये सिनेमा अनुरक्षण एवं वातानुकूलन/वायुशीतन प्रभार का चार्टर्ड एकाउण्टेंट से सत्यापित विवरण विलम्बतम् 30 जून तक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त (ग)......................, सिनेमा अनुरक्षण एवं वातानुकूलन/वायुशीतन प्रभार के रूप में एकत्रित धनराशि को व्यय किये जाने के संबंध में, आयुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगा।"

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेट को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराये।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned by CamScanner